उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4
संख्या-21/2025/322-22-4-2025- 1902774
लखनऊ: दिनाँक 24 मार्च, 2025

शुद्धि-पत्र/संशोधन

पुलिस उपमहानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-11887/नम-1,2,3/का0यो0(12)/2024, दिनांक 12-03-2025 द्वारा शासनादेश संख्या-16/2025-220-22-4-2025-1902774, दिनांक-10.03.2025 में अंकित सारणी के क्रमांक-1 पर अंकित जिला कारागार, आजमगढ़ में वी०सी० रूम 01 नग के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि० के स्थान पर उक्त कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (पैक्सफेड) को अंकित कराने सम्बन्धी संशोधन जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 10.03.2025 में अंकित सारणी के क्रमांक-1 में जिला कारागार, आजमगढ़ में वी०सी० रूम 01 नग के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था का नाम लिपिकीय त्रुटिवश गलत अंकित हो गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 10.03.2025 में अंकित सारणी में क्रमांक-1 के स्तम्भ-4 में अंकित कार्यदायी संस्था के नाम को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

क्र.	**कारागार का नाम**	**कार्य का नाम**	**कार्यदायी संस्था**	**लागत की धनराशि**	**वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत की जाने वाली की धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	जिला कारागार, आजमगढ़	वी0सी0 रूम 01 नग	उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि० (पैक्सफेड)	56.83	56.83

3- शासनादेश संख्या-16/2025-220-22-4-2025-1902774, दिनांक 10.03.2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 10.03.2025 के शेष विवरण यथावत रहेगें।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-21/2025/322-22-4-2025-1902774, तदिनांकित ।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(4) प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफेड) लखनऊ।
(5) प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
(6)जिलाधिकारी, आजमगढ़।
(7)वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,आजमगढ़
(8) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(10) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(11) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यय) अनुभाग-1/2
(13) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।